कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश,
प्रगति भवन, विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, भोपाल

दूरभाष : 0755–2674206, 2674248, फैक्स : 0755–2766315
e-mail pccfwl@sancharnet.in, pccfwl@mpforest.org

क्रमांक/तक.–I/4806 भोपाल, दिनांक 13/10/2011

प्रति,

समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व
समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
संचालक, माधव रा.उ., शिवपुरी/वन विहार रा.उ., भोपाल
मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), ग्वालियर/इन्दौर
वनमंडलाधिकारी, वन्यप्राणी कूनो पालपुर/नौरादेही वनमंडल
मध्यप्रदेश.

विषय :– मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम 1974 के नियम 34 में संशोधन।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ 14–82/1988/10–2 दिनांक 10.10.2011.

––:: ::––

कृपया म.प्र. शासन वन विभाग के विषयांकित प्रकरण से संबंधित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। म.प्र. शासन वन विभाग द्वारा विषयांकित नियम के उप नियम 3, 9 एवं 10 में दर्शित दरों का संशोधित किया गया है। नियम 1974 के नियम 34 में संशोधित दरें दिनांक 10 अक्टूबर 2011 से प्रभावशील होगी। जिसकी छायाप्रति संलग्न है, कृपया तद्नुसार कार्यवाही करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

13/10/11
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/तक.–I/4807 भोपाल, दिनांक 13/10/2011

प्रतिलिपि :–

1. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल।
2. सी.ई.ओ., एम.पी.ऑन लाईन, निरूपम शॉपिंग कॉम्पलेक्स, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड़, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. सी.ई.ओ., म.प्र. ईको पर्यटन विकास बोर्ड, ऊर्जा भवन, भोपाल।

की ओर म.प्र. शासन, वन विभाग द्वारा विषयांतर्गत नियम के उप नियम 3,9 एवं 10 में संशोधन कर अधिसूचित किया है। अधिसूचित नियम की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

13/10/11
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D/Deepak/Letter

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ 14–82/1988/10–2 भोपाल, दिनांक /10/2011

प्रति,

उप नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
अरेरा हिल्स भोपाल

विषय :– मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम 1974 के नियम 34 में संशोधन।

संदर्भ :– सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक 2511/क्यू/2011/1/4, दिनांक 10.10.2011.

———0———

उपरोक्त विषय में आपको संबोधित सामान्य प्रशासन विभाग का संदर्भित ज्ञाप का कृपया अवलोकन करें।

इस संबंध में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14/82/1988/10–2, दिनांक 10.10.2011 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति संलग्न है। जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2011 में प्रकाशित किया जाना है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग का प्राधिकार पत्र भी मूलतः संलग्न है। अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 10.10.2011 के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करने का कष्ट करें। साथ ही राजपत्र की 50 मुद्रित प्रतियां भी इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(बी. आर. सुनहरे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0 क्रमांक/एफ 14–82/1988/10–2 भोपाल, दिनांक 10/10/2011

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित (कृपया शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय से 50 प्रतियां प्राप्त कर हिन्दी एवं अंग्रेजी की ———) इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

10-10-11

मध्यप्रदेश शासन,वन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल–462004

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर, 2011

क्रमांक एफ. 14-82-1988-10 -2 : वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 64 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) (मध्यप्रदेश) नियम 1974 के नियम क्रमांक 34 में निम्नानुसार संशोधन करता है :–

(1) उपनियम (3) की सारणी–'एक' के कालम नं. 8 एवं 9 में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नानुसार नवीन प्रविष्टियां स्थापित की जाती हैं :–

			कालम 8	कालम 9
(क)	वाहन से वन्यजीव दर्शन (प्रति राउण्ड)	समस्त टाईगर रिजर्व	रू. 4000	रू. 8000
		अन्य संरक्षित क्षेत्र	रू. 1600	रू. 3200
(ख)	वाहन से विशिष्ट स्थलों के दर्शन	पचमढ़ी व्यू प्वाइंट्स	रू. 1200	रू. 2400
		वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	रू. 800	रू. 1600
		अन्य विशिष्ट स्थल (पांडव फॉल, रनेह फॉल एवं प्रबंधन द्वारा चिन्हित किये गये अन्य स्थल)	रू. 800	रू. 1600

(ग) कॉलम के शीर्षक में '32' के स्थान पर '20' स्थापित किया जाता है।

(2) उपनियम (3) की सारणी–'एक' में एवं कालम नं. 6 एवं 7 में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नानुसार नवीन प्रविष्टियां स्थापित की जाती हैं :–

		कालम 6	कालम 7
(क)	**पचमढ़ी व्यू प्वाइंट्स**	रू. 300	रू. 1500
(ख)	**वन विहार राष्ट्रीय उद्यान**	रू. 200	रू. 800
(ग)	**अन्य विशिष्ट स्थल** (पांडव फॉल, रनेह फॉल एवं प्रबंधन द्वारा चिन्हित किये गये अन्य स्थल)	रू. 200	रू. 1000

(3) उक्त उपनियम 'तीन' के नीचे दी गई टिप्पणी क्रमांक (दो) के स्थान पर निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :—

'मिनी बसें पूर्व निर्धारित सर्किट पर ही चलाने की अनुमति दी जावेगी।'

(4) उप नियम 9 (ख) में रूपये 5000 के स्थान पर रूपये 6000, रूपये 15000 के स्थान पर रूपये 12000 तथा 'पांच घन्टे' के स्थान पर 'तीन घन्टे' स्थापित किया जाता है।

(5) उप नियम 10 'क' के स्थान पर निम्नानुसार स्थापित किया जाता है।

फिल्मांकन/फोटोग्राफी की अनुमति क्षेत्र संचालक/वन संरक्षक द्वारा दी जायेगी। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त समय में एवं सामान्य पर्यटन मार्ग से हटकर फिल्मांकन/फोटोग्राफी की अनुमति चाही जाती है तो ही यह दें लगातार लागू होगी। यह फिल्मांकन/फोटोग्राफी की शुल्क पूरे अवधि के लिये अग्रिम रूप से देय होगी। यह अनुमति एक पर्यटन वर्ष (1 जुलाई से 30 जून) तक प्रभावशील होगी। अनुमति की अवधि टुकड़ों में भी हो सकती है।

अवधि	भारतीय शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान	अन्य
प्रथम सात दिन तक	रू. 15000 प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति	रू. 30000 प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति
आठवें दिन से पन्द्रहवें दिन तक	रू. 12500 प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति	रू. 25000 प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति
16 वें दिन से लगातार	रू.10000 प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति	रू. 20000 प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति

(5) उप नियम (10) के भाग 'ख' को विलोपित किया जाता है।

यह संशोधन अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(वी.एन.पाण्डे)

सचिव,
म.प्र. शासन, वन विभाग

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
FOREST DEPARTMENT
MANTRALAYA : VALLABH BHAWAN
BHOPAL

Notification

Bhopal dated 10/10/2011

No. F. 14-82-1988-X-2. In excercise of the powers conferred under Section 64 of the Wildlife (Protection) Act, 1972(53 of 1972), the State Government hereby makes the following amendments in the Rule 34 of Wildlife (Protection) (Madhya Pradesh) Rules, 1974 namely:-

Amendment

(1) In sub-rule (3), the current entries in column no. 8 and 9 in Table I shall be substituted with the following:

			Column 8	Column 9
(a)	Viewing Wildlife in Vehicles (Per round)	All tiger Reserves	Rs 4000	Rs 8000
		Other Protected Areas	Rs 1600	Rs 3200
(b)	Visiting Specific Spots in Vehicles	Pachmarhi View Points (All)	Rs 1200	Rs 2400
		Van Vihar National Park		
		Other Specified Spots (Pandav Falls, Raneh Falls	Rs 800	Rs 1600
		and any other spots earmarked by the management)	Rs 800	Rs 1600

(c) In the title of the columns, '20' shall be substituted for '32'.

(2) In sub-rule (3), current entries under column no. 6 and 7 in Table I shall be substituted with the following:

		Column 6	Column 7
(a)	Pachmarhi View Points	Rs 300	Rs 1500
(b)	Van Vihar National Park	Rs 200	Rs 800
(c)	Other Specified Points (Pandav Falls, Raneh Falls and any other spots earmarked by the management)	Rs 200	Rs 1000

(3) The note no. (2) under sub-rule (3) shall be substituted with the following:
'The minibuses shall be allowed to run only on predetermined routes.

(4) In sub-rule (9) (b), Rs 6000' shall be substituted for Rs 5000, Rs 12000 for Rs 15000 and 'three hours' for 'five hours'.

(5) Following shall be substituted for sub-rule (10) (a):

'Permission for filming/photography shall be given by the Field Director/Conservator of Forests. These rates shall be applicable only if permission is asked for filming/photography beyond the time and away from the routes for ordinary tourists. This fee shall be payable in advance for entire period of filming/photography. This permission shall be effective for one tourism year (Ist July to 30th June). The period of permission can also be in broken periods.

Period	**Indian Educational/Research Institutions**	**Others**
First Seven days	Rs 15000/- per day, per person	Rs 30000/- per day per person
8th to 15th day	Rs 12500/- per day, per person	Rs 25000/- per day, per person
16th day on wards.	Rs 10000/- per day, per person	Rs 20000/- per day, per person

(5) In sub-rule (10), clause (b) shall be omitted.

This amendment shall come into force with effect from the date of the publication of the notification.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

(V.N.Pandey)
Secretary
Government of Madhya Pradesh
Forest Department.